प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 ....178/2023.... दिनांक....7/7/2023....
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा ....7..........

(2) अधिनियम....................धाराऐं ....

(3) अधिनियम....................धाराऐं....................

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– गुरूवार दिनांक :– 06.07.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 04.07.2023 समय :– 12.05 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 665.......... समय...7:PM...........

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 130 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा
बीट संख्या....................जुरामदेही सं....................
(ख) पताः– आरोपिता संगीता राठौर का कुण्डला रोड़ पर ईदगाह के सामने स्थित निजी आवास, चौमहला जिला झालावाड़ (राज0)
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम....................जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्रीमती शकुन्तला
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री नागुलाल जाति मेहर
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 34 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या....................जारी करने की तिथि....................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– बिलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ हाल आशा सहयोगिनी ग्राम सिंघला ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी जिला झालावाड़ (राज0)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्रीमती संगीता राठौर पत्नि श्री संजय राठौर जाति तेली उम्र 44 साल निवासी कुण्डला रोड़, ईदगाह के सामने, चौमहला हाल एएनएम ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 40,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)....................
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2023 को परिवादिया श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री नागुलाल जाति मेहर उम्र 34 साल निवासी बिलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर अपने पति श्री नागुलाल मेहर के साथ उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड, आशा सहयोगिनी चयन आदेश, आशा क्लेम फॉर्म, बमाह फरवरी, मार्च, अप्रेंल, मई तथा जून 2023 के आशा सहयोगिनी मासिक उपस्थिति प्रपत्र की फोटोप्रतियां श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की जाने पर अवलोकन किया गया तो पाया कि मासिक उपस्थिति प्रपत्र की फोटोप्रतियों पर

एएनएम के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित एवं उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादिया ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी में जुलाई 2018 से आंगनबाड़ी केन्द्र सिंघला में आशा सहयोगिनी के पद पर चयन होने पर कार्य कर रही है। उसके द्वारा आशा सहयोगिनी के पद पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण व अन्य कार्य किये जाते है। परन्तु कार्य करने के बावजूद भी ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी में तैनात एएनएम संगीता राठौर द्वारा उसको रिश्वत राशि नहीं देने पर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है तथा उसके द्वारा किये गये माह फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई तथा जून के कार्य की उपस्थिति पर एएनएम हस्ताक्षर नहीं कर रही है। इस कारण उसके द्वारा कार्य किये जाने के बाद भी उसके पांच माह का मानदेय राशि का भुगतान अटका हुआ है। एएनएम द्वारा रिश्वत देने पर ऐसी आशा सहयोगिनियों के नाम ऑन लाईन चढ़ाकर फर्जी क्लेम व मानदेय का क्लेम करने हेतु हाजिरी पर हस्ताक्षर कर भुगतान किया जा रहा है जिनके द्वारा कोई कार्य ही नहीं किया गया है। उसके मानदेय राशि के भुगतान हेतु हाजिरी पर हस्ताक्षर कराने के लिए जब वह संगीता राठौर एएनएम से मिली तो एएनएम ने उसको कहा कि तुमने मेरी झूठी शिकायत कराई है जिसके कारण उसका ट्रांसफर हुआ है अब तुम नौकरी कर लेना। मुझे मेरी शिकायत को फाईल कराने के लिए मुझे 60 हजार रूपये ऊपर के अधिकारियों को देने पड़े है। इस पर उसने एएनएम को कहा कि उसने एएनएम की कोई शिकायत नहीं कराई है। इस पर संगीता राठौर एएनएम ने उसको कहा कि तुम्हारा सारा रिकॉर्ड सही करने व मानदेय राशि भुगतान हेतु उपस्थिति पर साईन करने तथा तुम्हारे द्वारा किये गये टीकाकरण कार्य का क्लेम ऑन लाईन तुम्हारे नाम से चढ़ाने के लिए 60 हजार रूपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। वह संगीता राठौर एएनएम ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ को उसके जायज काम के लिए 60 हजार रूपये की रिश्वत राशि नहीं देना चाहती है तथा एएनएम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहती है। उसकी संगीता राठौर एएनएम से कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा ना ही उधारी का कोई लेनदेन बकाया है। परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 12:35 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड डालकर परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम के बारे में परिवादिया से जानकारी करने के पश्चात् उसके कुण्डला रोड़ चौमहला स्थित निजी आवास अपने पति श्री नागुलाल मेहर के साथ एवं ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह कॉनि0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर व उसके पति के साथ अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से चौमहला के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 07:00 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर के साथ अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर के नई आबादी, चौमहला स्थित निजी आवास पर पहुंचे। परिवादिया द्वारा आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम को मोबाईल पर कॉल कराया गया तो आरोपिता द्वारा कॉल अटेंड नहीं किया। इस पर परिवादिया व उसका पति अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर मुझे मेरी मोटरसाईकिल से पीछे-पीछे आने का ईशारा कर आरोपिता के निजी आवास के लिए रवाना हुए तथा आरोपिता के निजी आवास से कुछ दूरी पर दुकानों के नजदीक ही मुझे रूकने का ईशारा किया जिस पर मैं अपनी मोटरसाईकिल साईड में पार्क कर परिवादिया व उसके पति के लौटने का इंतजार करने लगा। लगभग आधा घण्टे के पश्चात् परिवादिया व उसका पति अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आये तथा परिवादिया ने डिजिटिल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर उनके पीछे-पीछे उनके निजी आवास पर आने का कहकर रवाना होने पर मैं भी अपनी मोटरसाईकिल से उनके पीछे-पीछे परिवादिया के चौमहला स्थित निजी आवास पर पहुंचा। जहां पर निजी आवास के अन्दर परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर ने मुझे बताया कि आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम अपने घर पर ही मौजूद मिल गई थी। मेरे द्वारा आरोपिता से वार्तालाप करने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था उसके बाद मैंने व मेरे पति ने आरोपिता से मेरे रिकॉर्ड को ठीक करने, क्लेम को ऑन लाईन चढ़ाने तथा उपस्थिति पर हस्ताक्षर करने तथा रिश्वत राशि मांग के सम्बंध में बातचीत की थी। बातचीत के दौरान आरोपिता ने 60,000रूपये रिश्वत राशि देने पर मेरा पेण्डिग कार्य करने की बात कही है तथा उसके द्वारा पूरी राशि एक साथ देने का कहने पर मैंने हाथा जोड़ी की तथा कहा कि मेरे पास इतनी राशि अभी नहीं है तथा मैं 30,000रूपये अभी एक-दो दिन में व्यवस्था करके दे दूंगी तथा मेरे पति ने कहा कि बाकी के 30,000रूपये सोयाबीन की फसल निकलने के बाद बेचकर दे देगें। इस पर भी आरोपिता एएनएम नहीं मानी

इस पर परिवादिया ने कहा कि ठीक है मैं 40,000रूपये एक–दो दिन में व्यवस्था करके दे दूंगी तथा मेरे पति द्वारा शेष 20,000रूपये देने की कहने पर वह मान गई। इस प्रकार आरोपिता एएनएम को एक–दो दिन में 40,000रूपये रिश्वत राशि देने के लिए परिवादिया ने फोन कर आने की बात कही तो आरोपिता ने मना कर दिया तथा कहा कि सीधे ही घर पर आ जाना, फोन मत करना। परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर ने कहा कि हमें रिश्वत राशि के 40,000रूपये की व्यवस्था कल ही करनी पड़ेगी इसलिए हम दोनों आपके साथ झालावाड़ नहीं चल सकते तथा परसों आरोपिता के बारे में जानकारी कर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जायेगें। इस पर मेरे द्वारा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने तथा आरोपिता के बारे में जानकारी कर रिश्वत राशि के 40,000रूपये की व्यवस्था कर परसों ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के सम्बंध में परिवादिया व उसके पति को हिदायत देकर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ हूं। श्री देवदान सिंह कानि0 425 द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 05.07.2023 समय 05.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर ने जरिये मोबाईल कॉल कर अवगत कराया मेरे द्वारा आरोपिता को दी जाने वाली रिश्वत राशि के 40,000रूपये की व्यवस्था हो गयी है तथा मैंने अपने स्तर पर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम कल दिनांक 06.07.2023 को दोपहर पश्चात् अपने निवास पर ही मिलेगी तथा उसने मुझे पूर्व में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान मोबाईल पर वार्ता नहीं कर सीधे ही अपने निजी आवास पर ही रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। इस पर परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि के 40,000रूपये लेकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 08.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए जरिये मोबाईल वार्तालाप कर पाबन्द किया जिस पर उसने समय पर रिश्वत राशि लेकर अपने पति श्री नागुलाल मेहर के साथ ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर उपस्थित होने के लिए बताया। दिनांक 06.07.2023 को ट्रेप कार्यवाही की जाने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ के नाम पत्रांक एसपीएल–01 दिनांक 05.07.2023 व आरोपिता महिला होने तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान महिला कानि0 की आवश्यकता होने के कारण संचित निरीक्षक पुलिस लाईन, झालावाड़ के नाम पृथक से कार्यालय पत्रांक एसपीएल–02 दिनांक 05.07.2023 मुर्तिब कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 को पत्र देकर क्रमशः मिनि सचिवालय झालावाड़ व पुलिस लाईन झालावाड़ जाकर गवाहान को भी पाबन्द कराने हेतु रवाना किया गया। समय 06:30 पीएम पर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त–झालावाड़ के श्री संजय मीणा पुत्र श्री गंगाराम मीणा जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी 35–ए, हरिनगर कॉलोनी, झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ व श्री श्रीयांश वर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद कुमार जाति बैरवा उम्र 24 साल निवासी सा0वि0 नि0 क्वार्टर नं0– 04 गोदाम की तलाई, झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान का पत्रांक 404 दिनांक 05.07.2023 तथा पुलिस लाईन झालावाड़ से श्रीमती मैना नागर पत्नि श्री बलवन्त सिंह जाति नागर उम्र 35 साल निवासी अलावा पोस्ट गरनावद तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ हाल महिला कानि0 नं0 1136 पुलिस लाईन झालावाड़ को पाबन्द कराकर पाबन्द शुदा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये। पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.07.2023 समय 08.00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय मीणा हाल कनिष्ठ अभियंता व श्री श्रीयांश वर्मा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त–झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 08.05 एएम पर पाबन्द शुदा महिला कानि0 श्रीमती मैना नागर पत्नि श्री बलवन्त सिंह जाति नागर उम्र 35 साल निवासी अलावा पोस्ट गरनावद तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ हाल महिला कानि0 नं0 1136 पुलिस लाईन झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आयी। जिससे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। समय 08:10 एएम पर पाबन्दशुदा श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री नागुलाल जाति मेहर उम्र 34 साल निवासी बिलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) मय अपने पति श्री नागुलाल मेहर के साथ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000 रूपये लेकर आयी है। परिवादिया ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार मुझे आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम मोबाईल पर वार्ता नहीं कर अपने घर पर ही रिश्वत राशि लेकर बुलाया है तथा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपिता दिनांक 06.07.2023 को दोपहर पश्चात् उसके चौमहला स्थित निजी आवास पर ही मौजूद मिलेगी। परिवादिया का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय मीणा व श्री श्रीयांश वर्मा तथा महिला कानि0 श्रीमती मैना नागर से परस्पर परिचय कराया गया तथा गवाहान को परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर द्वारा दिनांक 04.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश किये गये

लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य पढ़कर सुनाये गये तथा स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में सहयोग करने हेतु सहमति प्राप्त उनके अपने–अपने हस्ताक्षर कराये गये। समय 08:15 एएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् रमेशचन्द्र आर्य पुलिस निरीक्षक को परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री नागुलाल जाति मेहर उम्र 34 साल निवासी बिलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) तथा उसके पति श्री नागुलाल मेहर एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान व महिला कानि0 का परिचय कराया जाकर परिवादिया द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही के सम्बंध में अवगत करवाकर ट्रेप कार्यवाही सम्बंधी समस्त कागजात सुपुर्द किये। समय 08:20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही के सम्बंधी समस्त कागजात को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि उक्त मामले में दिनांक 04.07.2023 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा लिया गया है और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मालखाने में सुरक्षित रखा होना बताया है। अतः परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व परिवादिया का पति श्री नागुलाल मेहर एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान व महिला कानि0 कार्यालय में उपस्थित है। समय 08:30 एएम पर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय मीणा व श्री श्रीयांश वर्मा की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 04.07.2023 को परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व परिवादिया का पति श्री नागुलाल मेहर एवं आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के मध्य रिश्वत मांग की गोपनीय वार्ता हो चुकी है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में दिनांक 04.07.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसके पति के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज उसके पति श्री नागुलाल मेहर की तथा तीसरी आवाज आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर एएनएम की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:50 एएम पर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय मीणा व श्री श्रीयांश वर्मा के समक्ष अपने पास से 40,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 80 नोट भारतीय मुद्रा के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 40,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्रीमती मैना नागर म0कानि0 1136 से परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर के पास मौजूद काले रंग के लेडीज पर्स में रखवायी गयी। परिवादिया को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये ना ही अपने पर्स को किसी अन्य व्यक्ति को देवें तथा आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपिता से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपिता द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् वह रिश्वत राशि को कहां रखती अथवा छुपाती हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपिता द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर ईशारा करे या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री संजय मीणा व श्री

श्रीयांश वर्मा एवं परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुऐगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के द्वारा ही गिलास में मौजूद दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादिया को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादिया सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12:40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166, श्रीमती मैना नागर महिला कानि.नं. 1136 के प्राईवेट वाहन से तथा श्री भवानी शंकर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मय स्वतंत्र गवाहान श्री संजय मीणा व श्री श्रीयांश वर्मा तथा ब्यूरो स्टाफ श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के बजानिब चौमहला की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुए। आगे–आगे परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर को उनके स्वय के प्राईवेट से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 03:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से चौमहला कस्बा में कुण्डला रोड़ पर पहुंचे। जहां पर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसका पति श्री नागुलाल मेहर उनके प्राईवेट वाहन से रूके हुए थे। परिवादिया व उसका पति उनके वाहन से उतर मेरे पास आये तथा बताया कि मैन रोड़ पर ही पास में आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम का मकान स्थित है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर को पुनः समझाईश कर रिश्वत राशि आरोपिता को देने व उससे पूर्व उसके पास रखी सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने की समझाईश कर आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम की निवास स्थान की और उनके वाहन से रवाना किया जो कुछ दूरी पर ही आगे जाकर अपने वाहन से उतर कर एक मकान में परिवादिया व उसके पति को प्रवेश करते हुए देखा तथा मन् पुलिस निरीक्षक भी उनके पीछे–पीछे कुण्डला रोड़ पर सांवरिया ऑटो पार्टस की दुकान के सामने रूका तथा हमारे पीछे–पीछे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय स्टाफ के एक किराने की दुकान के सामने कुण्डला रोड़ चौमहला पर ही रूके तथा अपने–अपने वाहनों मौजूद रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादिया द्वारा रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में वाहनों में ही मुकीम रहे। समय 03:58 पीएम पर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर के पति श्री नागुलाल मेहर ने आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर का निजी आवास कुण्डला रोड़, ईदगाह के सामने, चौमहला के मैन गेट से बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप टीम की और किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों सरकारी गवाहान व महिला कानि0 एवं ट्रेप पार्टी को पीछे–पीछे आने का ईशारा कर आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के मकान के बाहर मैन गेट पर परिवादिया के पति के पीछे–पीछे मकान के अन्दर आगे के कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में सामने एक ऑफिस टेबल व राउण्ड चेयर पर काले रगं की साडी पहने चश्मा लगाये हुए सांवले से रंग की महिला के पास कुर्सी पर बैठी परिवादिया के पास पहुंचा तथा परिवादिया से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा। परिवादिया ने राउण्ड चेयर पर बैठी उक्त महिला की और ईशारा कर बताया कि साहब यही आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर एएनएम मैडम है जिसने अभी –अभी मेरे से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि के 40,000रूपये प्राप्त किये है तथा शेष 20,000रूपये मैंने बाद में जैसे मेरे पास आयेगें तब देने के लिए कहा है। एएनएम मैडम ने मुझे रिवश्त राशि के 40,000रूपये अपने हाथ में रखे कागज के लिफाफे पर रखने हेतु कहा जिस पर मैंने श्रीमती संगीता राठौर एएनएम मैडम के कहे अनुसार रिश्वत राशि के 40,000रूपये कागज के लिफाफे के ऊपर रख दिये। उसके पश्चात् एएनएम मैडम उस लिफाफे व रिश्वत राशि को लेकर अन्दर चौक में चली गई। रिश्वत राशि व लिफाफे को चौक में अन्दर रखकर वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उस महिला को अपना परिचय देकर आने का कारण बताया एवं उससे

उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संगीता राठौर पत्नि श्री संजय राठौर जाति तेली उम्र 44 साल निवासी कुण्डला रोड़, ईदगाह के सामने, चौमहला हाल एएनएम ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमती संगीता राठौर से परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर की तरफ ईशारा करते हुये पूछा कि श्रीमती शकुंतला मेहर अपने पति श्री नागुलाल मेहर के साथ अभी–अभी आपके पास आयी थी तथा आपने श्रीमती शकुंतला मेहर से अभी–अभी रूपये लिये हैं क्या? तो श्रीमती संगीता राठौर ने बताया कि हां श्रीमती शकुंतला मेहर ग्राम सिंघला ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत है और मैं रावनगुराड़ी ग्राम पंचायत में एएनएम के पद पर पदस्थापित हूं। श्रीमती शकुंतला माह फरवरी से जून तक कोई कार्य नहीं किया गया है जिसकी उपस्थिति दर्शाने के एवज में श्रीमती शकुंतला मेहर आशा सहयोगिनी ने मुझे अभी–अभी थोड़ी देर पहले 40,000रूपये दिये है। मैंने इससे कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। श्रीमती शकुंतला मेहर ने अपनी इच्छा से मुझे मेरे खर्चे पानी के पैसे दिये है। चुंकि परिवादिया के बताये अनुसार आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर द्वारा रिश्वत राशि मकान के चौक में रखी गई है एवं रिश्वत राशि चौक में रखने जाते समय आरोपिता रिश्वत राशि के हाथ लगाने की सम्भावना होने से एवं आरोपिता की हाथ धुलाई करवायी जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा महिला कानि0 श्रीमती मैना नागर को निर्देश देकर श्रीमती संगीता राठौर के दोनों हाथों को कलाई के ऊपर से पकड़वाकर यथास्थिति में रखने के निर्देश दिये। चूंकि आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम की हाथ धुलाई करवाई जानी है इस पर एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार रंगहीन घोल में आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर महिला कानि0 श्रीमती मैना नागर द्वारा स्त्रीलज्जा का पूर्ण ध्यान रखते हुए आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर की तलाशी लिवायी गयी तो आरोपिता के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर से परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर से अभी–अभी प्राप्त की गई रिश्वत राशि के 40,000रूपये बारे में पूछा गया तो आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर ने बताया कि मैंने श्रीमती शकुंलता मेहर से 40,000रूपये एक कागज के लिफाफे पर रखवाकर प्राप्त कर मकान के बीच में बने हुए चौक की दीवार के सहारे रखी हुई टेबल के नीचे रखे हुए लकड़ी के बॉक्स में लिफाफे सहित रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व महिला कानि0 के आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर को साथ लेकर उसके बताये अनुसार मकान के अन्दर चौक में प्रवेश किया जहां पर दीवार के सहारे रखी हुई टेबल के नीचे रखे हुए लकड़ी के बॉक्स की और ईशार कर आरोपिता ने बताया कि श्रीमती शकुंतला मेहर से प्राप्त किए हुए 40,000रूपये मैंने इस लकड़ी के बॉक्स में रखे है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीणा को निर्देश देकर लकड़ी के बॉक्स का ढक्कन खुलवाया गया तो उसमें 500–500रूपये के नोटों की एक गड्डी कागज के लिफाफे पर रखी हुई मिली जिसको स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीणा से उठवाकर गिनवाये गये तो 500–500 के 80 नोट कुल 40,000रूपये होना बताया। इसके पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहों को निर्देश देकर उक्त बरामद शुदा 500–500रूपये के 80 नोटों को फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट से मिलान करवाया गया तो दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु फर्द में अंकित वही नोट होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार हैः–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9SP 015315
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4GB 799116
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7NC 983895
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2LL 575814
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5FC 592077
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6LB 164393
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5EE 691066
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2ES 369917
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2TW 803287
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0HL 596399

11	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3CK 795385
12	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9NT 953421
13	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5NW 334101
14	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0NC 913661
15	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7QM 141518
16	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8AC 072493
17	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0NE 258042
18	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8FE 414741
19	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0CM 130909
20	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0FS 346572
21	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9SH 102471
22	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1GG 251642
23	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7AB 501642
24	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3RK 488567
25	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8QC 491811
26	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8CG 294468
27	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6FF 463780
28	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3UC 876165
29	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7BN 962164
30	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6TP 920387
31	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7SV 619330
32	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3KR 300783
33	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7GR 554477
34	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6BM 804645
35	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9PB 276304
36	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5MF 556740
37	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9CR 021170
38	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4FA 636538
39	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4NH 486760
40	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9BC 125879
41	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3KV 331738
42	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0WV 345848
43	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9GF 561345
44	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4GR 811914
45	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3PH 870478
46	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6GN 964732
47	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7UH 189721
48	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4SP 540376
49	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1DG 845662
50	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9DE 234160
51	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6TB 201837
52	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6MV 646342
53	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	2GV 529607
54	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8VT 929916
55	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7EP 048395
56	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0AS 326666
57	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5PM 746515
58	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9BM 832344
59	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7BA 753370

60	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5MN 444087
61	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5BC 135965
62	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3CL 092758
63	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1EG 041950
64	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0RH 376646
65	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MQ 896077
66	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1BG 009136
67	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0CD 367838
68	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	2WN 700343
69	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1QW 286832
70	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5PT 968231
71	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3ES 719683
72	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	2BF 555922
73	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4NH 474543
74	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5FB 792090
75	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6EC 207352
76	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MA 206867
77	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8BB 081401
78	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5DH 436151
79	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0AP 831271
80	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8BU 925854

उक्त रिश्वत राशि के 500—500 रूपये के 80 नोटों को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपिता द्वारा टेबल के नीचे रखे हुए लकड़ी के बॉक्स में लिफाफे के ऊपर रखी गई है। अतः उक्त लकड़ी के बॉक्स में रखे हुए कागज के लिफाफे पर से रिश्वत राशि बरामदगी के स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा एक साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर एक कपड़े की चिन्दी को घोल में डूबोकर कागज के लिफाफे के ऊपर का वह कागज के लिफाफे के ऊपर का स्थान जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उस स्थान को सोडियम कार्बोनेट के घोल में भीगी हुई कपड़े की चिन्दी से रगड़ कर उस चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट के गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील—मोहर चिट कर मार्का ई—1, ई—2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा लकड़ी के बॉक्स से कागज के लिफाफे को उठाकर देख गया तो कागज के लिफाफे के दूसरी तरफ हार्दिक शुभकामनाओं सहित संजय राठौर (पत्रकार) संगीता राठौर (ए.एन.एम.) कुण्डला रोड़ चौमहला जिला झालावाड़ (राज0) प्रिन्ट हो रहा है, उस कागज के लिफाफे पर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया व आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचीट कर मार्क ई दिया गया एवं कपड़े की चींदी को सुखाकर एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचीट कर मार्क सी दिया गया तथा सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम से परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर की उपस्थिति रजिस्टर एवं रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि आशा सहयोगिनियों से सम्बंधित समस्त रिकॉर्ड एवं उपस्थिति रजिस्टर आंगनबाड़ी केन्द्र में रहता है। परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर की उपस्थिति सम्बंधित रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड आंगनबाड़ी केन्द्र सिंधला में रखा हुआ है। श्रीमती शकुंतला मेहर आशा सहयोगिनी मेरे पास अभी बमाह फरवरी 2023 से जून 2023 तक के आशा सहयोगिनी मासिक उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र एवं बमाह मई 2023 का आशा क्लेम फार्म लेकर आयी थी एवं मुझसे उन पर हस्ताक्षर करने के लिए निवेदन किया था। श्रीमती शकुंतला मेहर के निवेदन करने पर मैंने उसके बमाह फरवरी 2023 से जून 2023 तक के आशा सहयोगिनी मासिक उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र एवं बमाह मई 2023 का आशा क्लेम फार्म पर हस्ताक्षर किये थे। श्रीमती शकुंतला माह फरवरी से जून तक कोई कार्य नहीं किया गया है जिसकी उपस्थिति दर्शाने के एवज में श्रीमती शकुंतला मेहर आशा सहयोगिनी ने मुझे अभी—अभी थोड़ी देर पहले 40,000रूपये दिये है। मैंने इससे कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। श्रीमती शकुंतला मेहर ने अपनी इच्छा से मुझे मेरे खर्चे पानी के पैसे दिये है। इस पर परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर ने आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मैंने फरवरी 2023 से जून 2023 तक आशा सहयोगिनी के रूप में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण व अन्य कार्य किये है। परन्तु कार्य करने के बावजूद भी श्रीमती संगीता राठौर एएनएम मैडम मेरे

द्वारा किये गये माह फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई तथा जून के कार्य की उपस्थिति पर हस्ताक्षर नहीं कर रही थी एवं मेरे द्वारा कार्य किये जाने के बाद भी मेरे पांच माह का मानदेय राशि का भुगतान अटका रखा है एवं मेरी उच्चाधिकारियों को बार–बार शिकायत करती है। मेरे मानदेय राशि के भुगतान हेतु हाजिरी पर हस्ताक्षर कराने के लिए जब मैं संगीता राठौर एएनएम से मिली तो इनके द्वारा मेरा सारा रिकॉर्ड सही करने व मेरी मानदेय राशि भुगतान हेतु उपस्थिति पर साईन करने तथा मेरे द्वारा किये गये टीकाकरण कार्य का क्लेम हेतु ऑन लाईन मेरे नाम से चढ़ाने के लिए 60 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। मेरे निवेदन करने पर श्रीमती संगीता राठौर अभी 40,000रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुई तथा शेष 20,000रूपये बाद में लेने हेतु सहमत हुई। हमारे बीच दिनांक 04.07.2023 को हुई वार्ता के अनुसार आज श्रीमती संगीता राठौर एएनएम मैडम ने मुझे रिश्वत राशि के 40,000रूपये प्राप्त करने के बाद मेरे बमाह फरवरी 2023 से जून 2023 तक के आशा सहयोगिनी मासिक उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र एवं बमाह मई 2023 का आशा क्लेम फार्म पर हस्ताक्षर किये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम से परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर के आशा सहयोगिनी के बमाह फरवरी 2023 से जून 2023 तक के मासिक उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र एवं बमाह मई 2023 का आशा क्लेम फार्म जिस पर आरोपिता द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। आरोपिता से अभी–अभी थोड़ी देर पहले परिवादिया से उसकी उपस्थिति व आशा क्लेम सम्बंधी कागजात पेश करने बाबत् कहा गया तो आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम द्वारा उक्त दस्तावेज अपनी टेबल पर रखे होना बताया तथा उसके द्वारा उनको उठाकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो आशा सहयोगिनी के बमाह फरवरी 2023 से जून 2023 तक के मासिक उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र व बमाह मई 2023 का आशा क्लेम फार्म जिन पर आंगनबाड़ी/गांव का नाम सिंधला अंकित किया हुआ है तथा प्रपत्र पर परिवादी श्रीमती शकुंतला मेहर द्वारा पेश किये गये उपस्थिति कागजातों पर रिश्वत राशि प्राप्त करने पश्चात् आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पाया गया है। परिवादिया के पेण्डिग कार्य से सम्बंधित उक्त दस्तोवजों के प्रथम व अन्तिम पेज पर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया व आरोपिता के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 06:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06:30 पीएम पर आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर पत्नि श्री संजय राठौर जाति तेली उम्र 44 साल निवासी कुण्डला रोड़, ईदगाह के सामने, चौमहला हाल एएनएम ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर की जामा तलाशी गवाह श्रीमती मैना नागर महिला कानि0 नं0 1136 से लिवायी गयी तो आरोपिया के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपिया की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके पति श्री संजय राठौर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 06:45 पीएम पर आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर पत्नि श्री संजय राठौर जाति तेली उम्र 44 साल निवासी कुण्डला रोड़, ईदगाह के सामने, चौमहला हाल एएनएम ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री संजय मीणा व श्री श्रीयांश वर्मा के समक्ष, आरोपिया को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को बताया कि परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर द्वारा आपसे आपके कुण्डला रोड़ चौमहला स्थित निजी आवास पर दिनांक 04.07.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 06.07.2023 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के समय परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07:00 पीएम पर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय मीणा व श्री श्रीयांश वर्मा की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप दिनांक 06.07.2023 जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर को लेपटोप के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज उसके पति श्री नागुलाल

मेहर की तथा तीसरी आवाज आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर एएनएम की होना बताया। वार्ता को सुन–सुन कर हूबहू लेपटोप पर टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:15 पीएम पर दिनांक 04.07.2023 को परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर तथा आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.07.2023 को समय 08.30 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 06.07.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर व उसके पति श्री नागुलाल मेहर तथा आरोपितया श्रीमती संगीता राठौर के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 06.07.2023 को समय 07.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय लेपटोप में लेकर सेव किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये लेपटोप चार पैन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें एक पेन ड्राईव आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीन पेन ड्राईव को सील मोहर की गई तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर रखा गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Sandisk 8GB micro sd hc no. 7502ZF8351CL BI MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर बजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 08:30 पीएम पर आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर एएनएम द्वारा पूर्व में भी अन्य व्यक्तियों से भी रिश्वत राशियां प्राप्त कर एकत्रित किया जाना सम्भावित होने से आरोपिया के पास और भी उसके निवास में नकदी मिलने की सम्भावना होने से एवं आरोपिया के निवास की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द की एक प्रति आरोपिया के पति श्री संजय राठौर को निःशुल्क दी गई। समय 10:00 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् घटनास्थल से परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर व परिवादिया के पति को रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर एएनएम को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 40,000रूपये के साथ लाये अपने–अपने सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुए। दिनांक 07.07.2023 समय 01:40 एएम पर घटनास्थल चौमहला से रवाना शुदा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर के साथ सरकारी व प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ पहुंचा जहां पर गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में महिला कानि0 की निगरानी में सुपुर्द कर थाना कोतवाली झालावाड़ से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 04.07.2023 को श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री नागुलाल जाति मेहर उम्र 34 साल निवासी बिलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ हाल आशा सहयोगिनी ग्राम सिंधला ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी जिला झालावाड़ ने अपने पति श्री नागुलाल मेहर के साथ ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था। परिवादिया श्रीमती शकुन्तला मेहर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर परिवादिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादिया ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी में जुलाई 2018 से आंगनबाड़ी केन्द्र सिंघला में आशा सहयोगिनी के पद पर चयन होने पर कार्य कर रही है। उसके द्वारा आशा सहयोगिनी के पद पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण व अन्य कार्य किये जाते है। परन्तु कार्य करने के बावजूद भी ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी में तैनात एएनएम संगीता राठौर द्वारा उसको रिश्वत राशि नहीं देने पर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है तथा उसके द्वारा किये गये माह फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई तथा जून के कार्य की उपस्थिति पर एएनएम हस्ताक्षर नहीं कर रही है। इस कारण उसके द्वारा कार्य किये जाने के बाद भी उसके पांच माह का मानदेय राशि का भुगतान अटका हुआ है। इस पर संगीता राठौर एएनएम ने उसको कहा है कि तुम्हारा सारा रिकॉर्ड सही करने व मानदेय राशि भुगतान हेतु उपस्थिति पर साईन करने तथा तुम्हारे द्वारा किये गये टीकाकरण कार्य का क्लेम ऑन लाईन तुम्हारे नाम से चढ़ाने के लिए 60 हजार रूपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र

व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी दिन दिनांक 04.07.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम द्वारा 60,000रूपये की मांग कर अभी 40,000रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुई तथा शेष 20,000रूपये बाद में देने के लिए कहा है। आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि मांग करने पुष्टि होने पर दिनांक 06. 07.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर को रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए उसके निजी आवास, चौमहला पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपिता के मकान के बीच में बने हुए चौक की दीवार के सहारे रखी हुई टेबल के नीचे रखे हुए लकड़ी के बॉक्स में रखे हुए लिफाफे के ऊपर रखी गई जहां से रिश्वत राशि के 40,000रूपये बरामद किये गये व आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर के दोनों हाथों का धोवन लिये जाने पर धोवन हल्का गुलाबी व मटमेला तथा बरामदगी स्थल का धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। परिवादिया के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित मूल रिकॉर्ड जब्त किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.07.2023 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 06.07.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट से पाया गया कि परिवादिया श्रीमती शकुंतला मेहर द्वारा माह फरवरी 2023 से जून 2023 तक में किए गए कार्य की उपस्थिति पर हस्ताक्षर करने, रिकॉर्ड सही करने, टीकाकरण कार्य को क्लेम ऑन लाईन चढ़ाने व मानदेय राशि का भुगतान करवाने की एवज में आरोपिता श्रीमती संगीता राठौर एएनएम द्वारा परिवादिया से 60,000रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना व अभी 40,000रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा शेष 20,000रूपये बाद में देने के लिए कहना व मांग के अनुसरण में आरोपिया द्वारा 40,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर पत्नि श्री संजय राठौर जाति तेली उम्र 44 साल निवासी कुण्डला रोड़, ईदगाह के सामने, चौमहला हाल एएनएम ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपिया के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय,

(रमेशचन्द आर्य)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेश चन्द आर्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती संगीता राठौर पत्नी श्री संजय राठौर, एएनएम, ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी, तहसील गंगधार जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 178/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2244-47 दिनांक 07.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. निदेशक(अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।